विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-13 का उत्तर ।

	प्रश्न	उत्तर
13(क)	क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ के चारों ओर से निकले आउटर रिंग रोड/किसान पथ के दोनों ओर 500/1000 मीटर किसानों की खाली पड़ी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वीकृत कर शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है?	एन0एच0ए0आई0 द्वारा सूचना दी गई है कि वर्तमान में अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नहीं है।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या उक्त सीमा के अन्तर्गत आने वाली सदर/बक्शी का तालाब, सरोजनीनगर/मोहनलालगंज आदि तहसीलों में किन-किन गॉवों की भूमि को किस प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत किया जाना प्रस्तावित है?	उपरोक्तानुसार
(ग)	क्या निर्धारित परिधि में आने वाले गॉव/आवासीय परिसर जिसमें सैकड़ों परिवार काफी समय से निवास कर रहे है उसके सम्बन्ध में कोई पुर्नवास कार्य योजना सरकार द्वारा जनहित में बनाई गई है?	उपरोक्तानुसार
(घ)	यदि हॉ, तो उक्त कार्य योजना क्या है तथा जनहित में उक्त गॉव/आवासीय भवनों को अधिग्रहण सीमा से मुक्त रखे जाने का प्रस्ताव है?	प्रश्न नहीं उठता।
(ङ)	यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार

बृजेश सिंह
राज्य मंत्री
लोक निर्माण विभाग।